(2)

प्रकरण संख्या—03/2018 तारीख रजु—21.03.2018

# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 हिण्डौन — प्रार्थी

बनाम

हल्लू पुत्र प्रभू जाति मीना ग्राम मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

## निर्णय

दिनांक—04.07.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 हिण्डौन के जरियें भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही करने तथा अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि को भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन के नाम अन्तरण करने हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत आदेश जारी करने बाबत् प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस मे बकाया राशि जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत् सूचित किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन शाखा हिण्डौन ने अपने पत्रांक 578 दिनांक 04.07.2018 से अवगत कराया है कि श्री हल्लू पुत्र प्रभु जाति मीना निवासी मेरेडा द्वारा कुल अवधिपार राशि 1051690/—रुपये दस लाख इक्यावन हजार छः सौ नब्बे मात्र जमा करवाकर पूर्ण खाता चुकता कर दिया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवधिपार पूर्ण राशि जमा करवा कर पूर्ण खाता चुकता कर दिये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर,
करौली